प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

अनिता बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 85 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
03.11.2021	प्रशासन गांव कें अभियान कैम्प कोर्ट मेधाना में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83/77 के खसरा न0 168 की 5.6910हैक्‍ व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 38/592 की कुल 12.4220हैक्‍ में भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम लिछमा पुत्री पुरूषोतम दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम अनिता पुत्री पुरूषोतम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम अनिता पुत्री पुरूषोतम दर्ज है प्रार्थी अपना का नाम राजस्व रिकार्ड में अनिता पुत्री पुरूषोतम दर्ज करवाना चाहता है प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तहसीलदार नोहर की जांच /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम अनिता पुत्री पुरूषोतम है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लिछमा पुत्री पुरूषोतम दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम अनिता पुत्री पुरूषोतम दर्ज है प्रार्थी का नाम के सम्बध में कैम्प के दोरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत मेधाना की तस्दीक /तहसीलदार नोहर की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83/77 के खसरा न0 168 की 5.6910हैक्‍ व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 38/592 की कुल 12.4220हैक्‍ में भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम अनिता पुत्री पुरूषोतम दर्ज है के स्थान पर लिछमा उर्फ अनिता पुत्री पुरूषोतम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021 कैम्प कोर्ट मेधाना	

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2021 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण अनवानी अनिता बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. अनिता पुत्र पुरूषोतम जाति ब्राहम्ण निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83 / 77 के खसरा न0 168 की 5.6910हैक व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 38 / 592 की कुल 12.4220हैक में भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम अनिता पुत्री पुरूषोतम दर्ज है के स्थान पर लिछमा उर्फ अनिता पुत्री पुरूषोतम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट मेधाना